राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	618 / 2023	अशोक कुमार चौधरी	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, बीकानेर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, सेवगों की बगीची, नथूसर गेट, बीकानेर।
2.	907 / 2023	पवन कुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक मुख्यालय, श्रीगंगानगर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 59एफ, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।
3.	906 / 2023	श्रीमती सुनीता सिसोदिया	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च मा. विद्यालय, न्यू हसनपुरा, जयपुर।
4.	242 / 2023	इशरेन्द्र अग्रवाल	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, अजमेर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, देवनगर, पुष्कर, जिला अजमेर।
5.	796 / 2023	मंजू कुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, अऊ, डीग, जिला भरतपुर।
6.	1246 / 2023	रामकुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, मायला, पल्लू, जिला हनुमानगढ।
7.	1565 / 2023	सुरेन्द्र कुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सवाईमाधोपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, डाबर, बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
8.	1018 / 2023	मिटठूलाल मीणा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक मुख्यालय, जयपुर। 5. पीईओ, एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, मूंडली, बस्सी, जिला जयपुर।

9.	1388/2023	सुरज्ञान सिंह	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, शहीद राजेन्द्र कुमार राजकीय उच्च मा. विद्यालय, कालोटा, तह. खेतड़ी झुंझुनू।
10.	1389/2023	नरेन्द्र कुमार शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सवाईमाधोपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, वजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर।
11.	42/2022	उम्मेद सिंह मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये उप शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 5. जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू।

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर एवं राहुल जोशी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 618/2023 अशोक कुमार चौधरी की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी अशोक कुमार चौधरी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर नवम्बर, 1994 में हुई थी। वर्ष 1997 में अपीलार्थी का समायोजन अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 16.12.2004 के द्वारा दिनांक 24.11.2004 से दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 02.01.2013 के द्वारा दिनांक 24.11.2012 से दिया गया। अपीलार्थी का 27 वर्षीय

चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 24.11.2021 से देय तथा अपीलार्थी का वेतनमान दिनांक 01.07.2013 से 9300–34800/– स्केल में 4800/– ग्रेड पे पर निर्धारित किया गया। जिसका उल्लेख सर्विस बुक में मौजूद है। परन्तु अपीलार्थी का 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 24.11.2021 को देय होने के कारण अपीलार्थी ने जरिये अभ्यावेदन दिनांक 12.07.2022 के द्वारा प्रत्यर्थीगण से निवेदन किया। किन्तु प्रत्यर्थीगण ने आज दिन तक उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिया और ना हीं उक्त अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित किया। उनका आगे तर्क है कि राज्य सरकार ने दिनांक 23.10.1997 को यह आदेश निकाले कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया है, उक्त आदेशों की पालना में अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा छात्र संस्थायें के आदेश के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित करते हुये अपीलार्थी का पदस्थापन अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड़ तृतीय के पद पर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.12.2004 के द्वारा दिनांक 24.11.2004 से 10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। उसके पश्चात् अपीलार्थी को दिनांक 24.11.2012 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के तहत अपीलार्थी का दिनांक 01.07.2013 से अपीलार्थी की ग्रेड पे 4800/– में फिक्स करते हुए रनिंग पे बेण्ड 9300–34800/– में फिक्स किया गया, परन्तु उक्त सेवा नियमों के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी सं. 3 ने अवैध व अनुचित रूप से अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ हेतु किये गये आवेदन को बिना कारण के लंबित कर रखा हैं तथा अपीलार्थी को उक्त वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। जो अपने आप में अवैध व अनुचित है तथा विधि विरुद्ध है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के आदेशों पालना में अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। उक्त अध्यापकों को 9–18–27 वर्षीय एसीपी में प्रथम नियुक्ति पद (प्रयोगशाला सहायक पद) की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफ.डी. रूल्स/2008–। दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू संख्या–7(।।) के प्रावधानों के अन्तर्गत

(Regular service for grant of benefits under the A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct Entry grade on the regular basis on the direct recruitment-) साथ ही राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14 (88)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पद के ग्रेड पे के आधार पर ही चयनित वेतनमान देने का प्रावधान है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। अतः उपरोक्त नियमानुसार अपीलार्थी की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर 9, 18 व 27 वर्ष पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये एसीपी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्ष पर चयनित वेतनमान के रूप में ग्रेड–पे 4800 रूपये ही देय होकर अधिक भुगतान वसूली योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। इस मामले में अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक पद पर नवम्बर–1994 में की गईं जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.11.1994 को कार्यग्रहण किया गया। अपीलार्थी का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर आदेश दिनांक 14.10.1997 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम डायरेक्ट नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.98 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1980 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में (दिनांक 01.01.06 से 30.06.13) ग्रेड पे 2400 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया । वित विभाग के आदेश क्रमांक प.14 (88) वित नियम/2008 दिनांक 05.07.13 से पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय /तृतीय (9, 18, 27 वर्षीय) चयनित वेतनमान/एसीपी पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया है। अतः वित विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम पद के आधार पर एसीपी देय है । वित विभाग के आदेश क्रमांक प. 18 (88) वित (नियम)/2008 दिनांक 05.07.13 के अनुसार अपीलार्थी को 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.13 से ग्रेड पे 4200/– में वेतन देय है। तत्पश्चात् 27 वर्षीय एसीपी पर ग्रेड–पे 4800/– में वेतन देय है। जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक का संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 01.07.98 से प्रारम्भिक वेतनमान 4500–7000 निर्धारित गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक की पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में दिनांक 01.01.06 से 30.06.13 तक ग्रेड पे 2800 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। जिसको आदेश दिनांक 05.07.13 से (प्रभावी दिनांक 01.07.13) ग्रेड पे 3600/– निर्धारित किया गया है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानों के तहत तृतीय श्रेणी

अध्यापक को दिनांक 01.07.13 से प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एसीपी पर क्रमशः ग्रेड पे 4200, 4800, 5400 देय होती है।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमान सामग्री का गंभीरतापूर्वक कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड में 3500 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त शीर्षक तालिका वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें एतदद्वारा स्वीकार की जाती हैं और उक्त तालिका के सभी अपीलार्थीगण के आलोच्य आदेश को अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहत (withdraw) नहीं किए जाएं।

उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थीगण को देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार) चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर फिक्सेशन किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में, अपीलार्थीगण वसूल

की गई राशि/वेतन से कटौती की गई राशि को 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की ब्याज दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे।

मूल आदेश अपील संख्या 618/2023 अशोक कुमार चौधरी बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अमीलों को पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जाये।

आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)